

कार्यालय जिलाधिकारी, बस्ती।

(खनन अनुभाग)

दिनांक 16-10-2025

संख्या:- 232/खनन सहायक/विज्ञप्ति-ड्रेजिंग/सा0 बालू/2025-26

उपखनिज साधारण बालू/सिल्ट के निस्तारण/निकासी के लिए ई-निविदा आमंत्रण हेतु सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या/फाइल नं0 86-01099/51/2023- लखनऊ दिनांक 19.03.2024 में दिये गये निर्देशानुसार जनपद बस्ती तहसील हरैया स्थित चौधरी चरण सिंह अयोध्या पम्प नहर प्रणाली के अप्रोच चैनल, मुख्य नहर व कलवारी शाखा में जमी हुई सिल्ट/साधारण बालू को 03 माह की अल्प अवधि में ई-टेण्डरिंग प्रणाली से निस्तारण हेतु चैनेज क्रमांक संख्या 01,03,04 व 05 में कोई बिड/निविदा नहीं प्राप्त होने के दृष्टिगत मानसून अवधि के उपरान्त उक्त शेष चैनेज में उपलब्ध साधारण बालू/सिल्ट को मानसून अवधि के उपरान्त निस्तारण हेतु पुनः ई-निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु निम्नवत् उपलब्ध घोषित किया जाता है एवं उपरोक्तानुसार दिनांक 27.10.2025 से दिनांक 31.10.2025 सायं 5:00 बजे तक क्षेत्र से साधारण बालू/सिल्ट उठान हेतु www.etender.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।
उपलब्ध साधारण बालू/सिल्ट का विवरण -

क्र.	चैनेज का नाम	चैनेज मीटर में			चैनेज का जीओ कॉर्डिनेट	मात्रा घनमी0 में	सा0 बालू की प्रचलित दर रू0 में	न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 में	आरक्षित मूल्य का 25 % अर्नेस्ट मनी रू0 में
		लम्बाई	चौड़ाई	गहराई					
1	अप्रोच चैनल किमी0 0.000 से किमी0 1.900	1900	15	1	A	28500	65.00	1852500	463125
					B				
3	अप्रोच चैनल किमी0 3.800 से किमी0 5.700	1900	15	1	C	28500	65.00	1852500	463125
					D				
4	अयोध्या मुख्य नहर किमी0 0.000 से किमी0 5.000	5000	10	0.5	E	25000	65.00	1625000	406250
5	कलवारी शाखा किमी0 0.000 से किमी0 7.000	7000	9	0.3	-	18900	65.00	1228500	307125

शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

- उप खनिज सिल्ट/साधारण बालू के निकासी की अधिकतम अवधि 03 माह तक होगी। जिसमें कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा।
- सिल्ट/साधारण बालू को हटाने की अधिकतम अवधि 03 माह तक अथवा नदी के जल स्तर बढ़ने, जिससे परिवहन मार्ग अवरूद्ध होने के कारण बालू हटाना सम्भव न हो, जो भी पहले घटित हो मान्य होगा। किसी भी दशा में अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।
- कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारूप-2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होगी:-
 - विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र/सिल्ट/साधारण बालू स्थल विज्ञापित किया गया हो।
 - विज्ञप्ति में क्षेत्र/सिल्ट/साधारण बालू स्थल का क्रमांक।
 - निविदाकार का नाम व पिता का नाम, पता (स्थाई और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर

- (ग) निविदाकार का नाम व पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर
(घ) उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए उसने निविदा प्रस्तुत की है जिसमें निम्न हो-
उपखनिज का नाम -
तहसील का नाम -
भण्डारित स्थल का नाम/ग्राम -
- (ङ) निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता स्थायी और वर्तमान, ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में कोई एक मान्य होगा- आधार कार्ड/ वोटर आईडी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/विजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण)
- (च) खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली दर, जो खनिज के लिए उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगा।
- (छ) सिल्ट/साधारण बालू की मात्रा (घनमी0) को नियमावली 2021 की अनुसूची-1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी उसका 25% के समतुल्य राशि का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी बस्ती के पक्ष में अग्रिम रूप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोल जाने के पूर्व निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा, उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
- (ज) खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र
(झ) उस जिले के जिलाधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण-पत्र व हैसियत प्रमाण-पत्र जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है।
(ञ) पैन कार्ड, जी0एस0टी0 एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र।
- 4- ई-निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 27.10.2025 से दिनांक 31.10.2025 को सायं 5:00 बजे तक ई-टेंडर पोर्टल www.etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई-निविदा अपलोड की जा सकेगी।
- 5- विज्ञप्ति के अनुसार सात कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्यदिवस अर्थात दिनांक 01.11.2025 को अपरान्ह 3:00 बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ई-टेंडर समिति के सदस्यों द्वारा खोला जायेगा।
- 6- बिन्दु संख्या-3 में उल्लिखित वांछित अभिलेख तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टेंडर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या-3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक 01.11.2025 को अपरान्ह 12.00 बजे तक जमा करना होगा तथा बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, क्षेत्र का क्रमांक अंकित करना होगा।
- 7- क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रतिघनमी0 के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा भण्डारित बालू हटाने सम्बन्धी सहमति पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
- 8- जिलाधिकारी कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
- 9- सिल्ट/साधारण बालू के स्थल अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग अथवा कार्यालय सरयू नहर खण्ड अयोध्या से सम्पर्क किया जा सकता है।
- 10- क्षेत्र से निकासी की जानें वाली खनिज के प्रति घनमी0 के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सहमति पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा। सहमति पत्र निर्गत होने के दो दिवस के अन्दर अवशेष सभी धनराशि जमा करना होगा। अन्यथा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायेगी, जिसके लिए कोई दावा/प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी।
- 11- निविदाकार को सिल्ट/साधारण बालू स्थल से मुख्य मार्ग तक की व्यवस्था/निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। किसी तृतीय पक्ष के विवाद की स्थिति में राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।
- 12- ई-निविदा में दी गयी दर को गुणाकर वास्तविक धनराशि निकाली जायेगी अग्रिम रूप में जमा 25% की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि आदेश निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।
- 13- ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा गुणवत्ता एवं भण्डारित स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर निविदाकर्ता स्वयं आवश्यक हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- 14- मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
- 15- नियमावली 2021 की अनुसूची-1 में उपखनिज (साधारण बालू) की वर्तमान में प्रचलित रायल्टी दर रुपये 65/- घनमी0 है।
- 16- निविदाकर्ता के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र से बालू उठान/परिवहन से यदि किसी तीसरे पक्ष को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारक उत्तरदायी होगा।
- 17- सिल्ट/साधारण बालू के स्थल पर बालू जहां भी है जिस अवस्था में है उसका सत्यापन स्वयं आवेदक करेगा। टेण्डर स्वीकृत होने के बाद प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 18- निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 01.11.2015 को अपरान्ह 3:00 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में गठित निविदा समिति के सदस्यों एवं निविदाकर्ताओं की उपस्थित में खोला जायेगा।
- 19- सफल निविदादाता को देय निविदा रायल्टी धनराशि पर 02% टी0सी0एस0, 10% जिला न्यास निधि देय होगी।



(प्रतिपाल चौहान)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
बस्ती।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या भूतत्व एवं खनिकर्म।
4. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद बस्ती को व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को एन0आई0सी0 के विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड, अयोध्या।
7. अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-4 बस्ती।
8. सहायक अभियन्ता- प्रथम सरयू नहर खण्ड, अयोध्या।
9. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट-बस्ती को मुख्य सूचना पट पर घस्पा करने हेतु।
10. सम्बन्धित समिति के सदस्यों को इस आशय के साथ प्रेषित कि निदेशालय भूतत्व एवं खनिकर्म से डी0एस0सी0 मैपिंग कराते हुए ई-टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
बस्ती।

सिल्ट/साधारण बालू निस्तारण हेतु ई-निविदा प्रपत्र

1	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा ई-निविदा आमंत्रित की गयी हो	
2	विज्ञप्ति में क्षेत्र क्रमांक/लाट संख्या	
3	निविदाकार का नाम	
4	निविदाकार के पिता का नाम	
5	स्थायी पता	
6	वर्तमान पता	
7	मोबाइल नम्बर	
8	ई-मेल आईडी	
9	पैन कार्ड नम्बर एवं जी0एस0टी पंजीयन संख्या	पैन कार्ड की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
10	पता का प्रमाण-पत्र(पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा) आधार कार्ड/वोटर आई0डी0/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण।	पहचान-पत्र की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
11	जिस क्षेत्र के निविदा दी जानी है उसका विवरण क. उप खनिज का नाम- ख. जनपद का नाम- ग. तहसील का नाम- घ. सिल्ट/साधारण बालू का स्थल- ड. क्षेत्र क्रमांक/लाट संख्या-	
12	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र/शपथ पत्र	घोषणा पत्र/शपथ पत्र की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
13	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र व हैसियत प्रमाण-पत्र.	चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी
14	खनिज के प्रति घन मी0 के लिए दी जा रही दर जो नियमावली 2021 के प्रथम अनुसूची में उस खनिज के लिए निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।	रू0- प्रति घन मी0 (अंको में) रू0- प्रति घन मी0 (शब्दों में)
15	विज्ञप्ति में क्षेत्र के लिए दी गई सिल्ट/साधारण बालू की मात्रा	-----घनमीटर
16	क्षेत्र में सिल्ट/साधारण बालू की मात्रा को नियमावली के अनुसूची-1 में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी दर से गुणा करने पर जो धनराशि आती है उसका 25 प्रतिशत के समतुल्य अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ का विवरण	बैंक ड्राफ्ट की धनराशि ---- बैंक का नाम व शाखा----- बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नहीं गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक:-

स्थान:-

निविदाकार के हस्ताक्षर